..वा में,

श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय (उद्यान),
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

25-8-22
58719
25.8.22

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील ।

महोदय,

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मेरे प्रार्थना पत्र संख्या आर० टी० आई० - NULL दिनांक 21/06/2022 का तथा मुझे दिनांक 03/08/2022 को प्राप्त हुए जन सूचना अधिकारी के पत्रांक - उद्यान / 2022-23/437 दिनांक 14/07/2022 के द्वारा दिए गए जवाब का संदर्भ ग्रहण करते हुए करने का कष्ट करें । ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) के जन सूचना अधिकारी के उपरोक्त गलत जवाब से मैं असंतुष्ट हूं और आपके सम्मुख निम्नलिखित अपील प्रस्तुत कर रहा हूं ।

2. यह कि मैंने अपने उपरोक्त प्रार्थना पत्र में जो बिंदुवार सूचनाएं लिखित रूप में तथा जन सूचना अधिकारी की पहुंच में प्राधिकरण में उपलब्ध दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपियां मांगी थी, वे सूचनाएं मुझे अभी तक लिखित में प्रदान नहीं की गई हैं जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों का पूर्ण उलंघन है ।

3. यह कि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना उद्यान विभाग तथा प्राधिकरण में दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध हैं । अतः जन सूचना अधिकारी का यह कथन गलत है कि मांगी गई उक्त सूचनाएं संकलित नहीं हैं ।

4. यह कि मैंने अपने प्रार्थना पत्र में मांगी गई सूचनाएं लिखित में तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां देने का निवेदन किया था जबकि जन सूचना अधिकारी द्वारा केवल अवलोकन करने की बात कही गई है जो गलत है ।

R.T.I.-20719 (HORTI)
App. No-3578
26.8.22

AA. GM Planning
26/8/22

5. यह कि मेरे द्वारा मांगी गई सूचनाओं व दस्तावेजों पर अधिनियम के अंतर्गत कोई रोक नहीं है ।

6. अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में मांगी गई सभी सूचनाएं तथा मांगे गए सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अधिनियम के अंतर्गत अतिशीघ्र मुझे प्रदान करने का कष्ट करें । साथ ही अधिनियम के अन्तर्गत समय सीमा के भीतर सूचनाएं नहीं देने और मुझे गलत व भ्रमित करने वाला जवाब देने के लिए जन सूचना अधिकारी (उद्यान) के विरुद्ध उचित कठोर कार्यवा करने की भी कृपा करें ।

प्रार्थी, 25/8/2020

(मनोज अधाना)
सैक्टर 37 ग्रेटर नॉएडा
मो० 9818141009